आश्रय

त्रैमासिक न्यूज़लेटर

सबका सपना, घर हो अपना

सत्यमेव जयते

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधानमंत्री आवास योजना– सबके लिए आवास (शहरी)

"मेरे मन में सपना है कि 2022 में, जब भारत के 75 साल हो तब तक हमारे देश में कोई परिवार ऐसा न हो, जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो।"

~ नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

खंड 1, अंक 2, जुलाई–सितम्बर, 2016, नई दिल्ली

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को राजभाषा पुरस्कार

भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी ने सुश्री नंदिता चटर्जी, सचिव को दिनांक 14 सितंबर, 2016 को राष्ट्रपति भवन सभागार, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वर्ष 2015–16 के दौरान इस मंत्रालय द्वारा राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया ।

आवास परियोजना का प्रदर्शन

बीएमटीपीसी ने जन आवास के लिए 16 नई निर्माण प्रणालियों को अभिज्ञात किया है, उनका मूल्यांकन किया है और उनको प्रमाणित किया है, जिससे तीव्र गति से गुणवत्तापूर्ण टिकाऊ और सुरक्षित आवास मुहैया कराने में सहायता मिलेगी। जीएफआरजी पैनल प्रणाली ऐसी निर्माण प्रणाली में से एक प्रणाली है। बीएमटीपीसी ने देश के विभिन्न भागों में मॉडल प्रदर्शन आवास परियोजनाएं प्रारंभ की हैं ताकि विभिन्न राज्यों में जागरूकता फैलाई जा सके और नई उभरती हुई प्रणालियों का प्रसार किया जा सके।

बीएमटीपीसी ने सरस्वती नगर, चौटापलम ग्राम, वैंकटा –चलम मंडल, एसपीएस नैलोर, आन्ध्र प्रदेश में जीएफआरजी पैनल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए 36 प्रदर्शन आवास गृह निर्मित किए हैं।

श्री एम. वेंकैया नायडु, माननीय आवास और शहरी गरीबी उपशमन, शहरी विकास एवं सूचना और प्रसारण मंत्री, भारत सरकार ने दिनांक 03 सितंबर, 2016 को आईआईटी चैन्नई, एफआरबीएल कोच्चि और एपीएसएचसीएल, आन्ध्र प्रदेश के सहयोग से बीएमटीपीसी द्वारा निर्मित प्रदर्शन आवास और समुदाय भवन परियोजना का उदघाटन किया।

प्रदर्शन आवास परियोजना में नेल्लौर में समुदाय केन्द्र सहित 36 जी + 1 गृह सम्मिलित हैं। यह अपने प्रकार की प्रथम परियोजना है जहां ग्लास फाइबर रीइन्फोरसड जिप्सम (जीएफआरजी) पैनलों का इस्तेमाल हुआ है। इन पैनलों को अपशिष्ट सामग्री, उर्वरक संयंत्रों का सह–उत्पाद, जिसे फोसफो जिप्सम कहा जाता है, से बनाया जाता है। इस परियोजना से निर्माण बिरादरी में रूचि उत्पन्न हुई है और इस परियोजना का व्यावसायिकों, उद्यमियों एवं भवन निर्माताओं ने दौरा किया है।

एसपीएसआर नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में प्रदर्शन आवास परियोजना

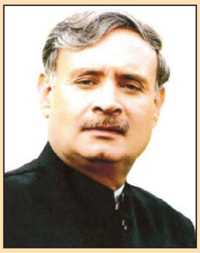

राव इंद्रजीत सिंह
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय तथा
शहरी विकास एवं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
में राज्य मंत्री,
भारत सरकार

संदेश

मैं आपको विभिन्न हितधारकों/राज्यों/शहरों/यूएलबी द्वारा "सबके लिए आवास" के निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उनके द्वारा किए गए प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि सबके लिए पक्के आवास की यह यात्रा बहुत लंबी है लेकिन हमें इस यात्रा में थोड़ा रूककर समय पर निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रयासों को भी याद करना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि शांति एवं आनन्द के साथ रहना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और उस शांति की प्राप्ति हेतु प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के आवास की आवश्यकता होती है। शहरी गरीबी क्षेत्रों मे स्वयं का आवास बनाने की चाह पनप रही है और सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की पहल ने उनके सपने को सच कर दिया है।

इस न्यूज लैटर में जमीनी स्तर के कार्य और लाभार्थियों तथा अन्य हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण मदों का उल्लेख होगा। राज्य विभिन्न गतिविधियों और अन्य राज्यों द्वारा अनुकरण किए जा रहे उत्तम व्यवहारों से संकेत प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक अंक राज्यों द्वारा किए गए बेहतर कार्य प्रकाशित करेगा जिससे अन्य राज्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। सर्वोत्तम राज्यों को मॉडल राज्य के रूप में नामित भी किया जा सकता है जिससे कि सभी राज्य उनका अनुकरण करें।

मुझे प्रसन्नता है कि मुझे इस पहल का एक हिस्सा बनने, उस परिवर्तन का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है जिसकी भारतवर्ष ने कल्पना की है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास के संपूर्ण दल के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

आपका,

(इंद्रजीत सिंह)

हडको और हूपा मंत्रालय के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

वर्ष 2016–17 के लिए निष्पादन लक्ष्यों को विनिर्दिष्ट करते हुए आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) एवं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर डॉ नंदिता चटर्जी, सचिव, आवास और शहरी गरीबी उपशमन (हूपा) मंत्रालय और डॉ. एम रविकांत, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, हडको द्वारा 20 जुलाई, 2016 को हस्ताक्षर किए गए। हडको ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान एमओयू के सभी पैरामीटरों में निष्पादन का सर्वोत्तम स्तर दर्ज किया।

हडको एवं एमओएचयूपीए के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

पीएमएवाई (शहरी) की संचयी प्रगति

पीएमएवाई (शहरी) के अंतर्गत, 10.1 लाख आवासों को केन्द्रीय सरकार की तरफ से स्वीकृति दी गई है और राज्यों को 14,954.97 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता 30 सितंबर, 2016 तक जारी कर दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1.	राज्यों के साथ हस्ताक्षरित एमओए	34
2.	चिन्हित एसएलएनए	33
3.	गठित एसएलएमसी	34
4.	अनुमोदित शहर	3,046
5.	शामिल राज्य	30
6.	परियोजनाओं की संख्या	2,495
7.	ईडब्ल्यूएस आवासों की संख्या	10,10,424
8.	पूर्ण आवासों की संख्या	14,508

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सीएलएसएस समीक्षा बैठक

पीएमएवाई (शहरी) मिशन संघटक के तहत और वर्ष 2016–17 के लिए कार्य योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 17 जून, 2016 को एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में राज्य सरकार /पीएमएवाई (शहरी) मिशन के कार्य से संबधित एसएलएनए के अधिकारी, केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) तथा प्रमुख ऋणदाता संस्थाओं (पीएलआई) के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। इस बैठक का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सीएलएसएस संघटक में पूर्णतया शामिल करना और एक कार्यनीति बनाना है।

मिशन निदेशक ने आईईसी संघटक के इस्तेमाल पर जोर दिया ताकि सीलएलएसएस स्कीम को सफल बनाया जा सके और जो राज्य प्रगति में पीछे चल रहे थे उन्हें इसके कारण का मूल्यांकन करने हेतु अनुरोध किया।

बैठक में अनुरोध किया गया कि सभी हितधारक घनिष्ठ समन्वय में काम करें ताकि यह सुनिश्चित हो कि संभावित लाभार्थियों विशेषकर समाज के असुरक्षित वर्गों के लाभार्थियों को कोई परेशानी न हो।

इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया कि सरकारी

17 जून, 2016 को आयोजित सीएलएसएस समीक्षा बैठक

कर्मचारी, पुलिस विभाग, औद्योगिक कामगार, सहकारी सोसाइटी पीएसयू इत्यादि सहित हितधारकों एवं लाभार्थियों के बीच जागरूकता लाने के लिए अधिक बल दिया जाए। राज्यों द्वारा उप–क्षेत्रीय अथवा यूएलबी स्तर पर नियमित रूप से कार्यशालाएं/बैठकें आयोजित की जाएँ और आवधिक समीक्षा के साथ सीएलएसएस पर आवश्यक ध्यान देने हेतु यूएलबी को परामर्शिका जारी की जाए, और कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के जरिए जागरूकता सृजन का कार्य शुरू किया जाए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला

दिनांक 15–16 जुलाई, 2016 को प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज, गुवाहाटी, असम में पीएमएवाई (शहरी) एचएफए पर एक दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य मिशन की प्रगति की समीक्षा करना तथा कार्यान्वयन प्रगति में सुधार लाना; राज्यों में कार्यक्रम कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देना था । श्री पी.बोरठाकुर, आई. ए. एस., प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग, असम सरकार ने दो दिवसीय कार्यशाला का उदघाटन किया ।

दिनांक 15–16 जुलाई, 2016 को गुवाहटी, असम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)– 'सबके लिए आवास' पर कार्यशाला।

श्री अमृत अभिजात, संयुक्त सचिव तथा मिशन निदेशक, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने सूचित किया कि मंत्रालय इस कार्यशाला का आयोजन इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए सहायता देने तथा ज्ञान अंतराल को भरने के लिए कर रहा है । हुपा मंत्रालय के अधिकारियों, पीएमयू सदस्यों तथा हडको द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं । इस कार्यशाला के दूसरे दिन व्यावहारिक ज्ञान पर एक सत्र का भी आयोजन किया गया ।

दूसरे दिन अर्थात 16 जुलाई, 2016 को प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (पीएलआई)/ बैंको के अधिकारिक प्रतिनिधियों के लिए एक अलग कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री एस.के. वालियाथन, उप सचिव, हुपा मंत्रालय ने इस कार्यशाला को संबोधित किया । उन्होंने कहा कि बैंको/ऋणदाता संस्थाओं के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों (सीएमडी) के साथ एक बैठक इस स्कीम को गति देने के लिए की गई थी। ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणी के लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए उन्हें गृह ऋण प्रदान करने हेतु सीएलएसएस प्राप्त करने के लिए पीएलआई/बैंक की भूमिका पर चर्चा की गई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) प्रतिनिधि ने सूचित किया कि एनएचबी ने केंद्रीय नोडल एजेंसी होने के कारण पहले ही सीएलएसएस, पीएमएवाई (शहरी) के अंतर्गत ब्याज सहायता स्कीम, के कार्यान्वयन के लिए 145 बैंको/पीएलआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

पीएमएवाई (शहरी) में पारदर्शिता–खुसरूपुर नगर पंचालय, बिहार में सामुदायिक केंद्र की दीवार पर दर्शायी गई लाभार्थी सूची

कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल में बीएलसी के अंतर्गत निर्मित पूर्ण तथा जियो टैग्ड व्यक्तिगत आवास-गृह

नामीबिया से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

सुश्री सील्विया मैगोन, माननीय ग्रामीण और शहरी विकास उप–मंत्री, नामीबिया की अध्यक्षता में नामीबिया से नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 31 अगस्त से 14 सितंबर, 2016 तक भारत में अध्ययन दौरे पर था । भारत के इस दौरे का उद्देश्य ग्रामीण विकास केन्द्रों के प्रबंधन सहित शहरी विकास तथा गरीबी उपशमन में भारतीय स्कीमों तथा सर्वोत्तम पद्धतियों के बारे जानना तथा नामीबिया में संभव अनुकरण करना है । इस प्रतिनिधिमंडल ने हैदराबाद, अहमदाबाद तथा जयपुर के विभिन्न संस्थानों का दौरा किया तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रमुख भारतीय संस्थाओं में बैठकें /चर्चाएं कीं । इस यात्रा के दौरान सुश्री सील्विया ने 12 सितंबर, 2016 को सचिव (हूपा) से भेंट की ।

भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों / एसपीए / नियोजन संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 15 सितंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) (रूड़की, कानुपर, मद्रास, खड़गपुर तथा हैदराबाद), 9 एनआईटी (सिल्चर, कालीकट, उत्तराखंड, पटना, राउरकेला, जालन्धर, ईटानगर, सुरथकल और वारंगल) तथा 3 वास्तुकला/नियोजन संस्थानों (एसपीए दिल्ली, एसपीए भोपाल तथा सीईपीटी विश्वविद्यालय, अहमदाबाद) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

इस समझौता ज्ञापन पर प्रौद्योगिकी संबंधित पहलुओं के लिए संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए आईआईटी /एनआईटी/एसपीए के साथ हस्ताक्षर किए गए जिसमें क्षमता निर्माण, कंसल्टेंसी तथा राज्य सरकार तथा शहरी स्थानीय निकायों की सहायता से प्रायोगिक परियोजनाएं चलाना और संबंधित राज्य को तकनीकी लेखा परीक्षा, निगरानी, प्रशिक्षण तथा जांच इत्यादि के लिए सहायता देना शामिल है।

प्रैपकॉम 3– सूरबाया, इंडोनेशिया में प्रदर्शनी में भारत की भागीदारी

सूरबाया, इंडोनेशिया में 25 जुलाई से 27 जुलाई, 2016 तक प्रैपकॉम –3 के दौरान संयुक्त राष्ट्र प्रैपकॉम सचिवालय द्वारा एक बड़ी प्रदर्शनी का अयोजन किया गया था। लगभग 80 प्रदर्शकों ने इस आयोजन में भाग लिया था। भारत ने टिकाऊ सतत और समावेशी आवास तथा शहरी विकास के लिए भारत के शहरी विकास परिदृश्य और विभिन्न मिशनों को शामिल करते हुए विविध प्रदर्शनों के साथ एक भव्य स्टॉल लगाई थी । इस प्रदर्शनी का उद्‌घाटन प्रैपकॉम–3 के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख सहित महामहिम एच.ई.डा.एम. बासुकी हदीमुलजोनो, माननीय लोक निर्माण एवं आवास मंत्री, इंडोनेशिया गणराज्य द्वारा किया गया था।

नई विकसित हो रही टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के आधार पर आवासों के मॉडल प्रदर्शित किए गए थे । इस प्रदर्शनी में 'कौशल भारत', 'मेक इन इंडिया' आदि जैसे भारत के अन्य प्रमुख मिशन शामिल किए गए थे । विभिन्न मिशनों के संबंध में विभिन्न श्रृव्य–दृश्य सामग्री का भी उपयोग किया गया था। आगुंतकों को स्टाल के प्रति आकर्षित करने के लिए लाईक्स बोर्ड, पोस्ट कार्ड, वर्कबुक, गिफ्ट बॉक्स में पेन ड्राइव का उपयोग जैसे नवीन और रचनात्मक विकल्पों का उपयोग किया गया ।

प्रदर्शन की विषय वस्तु, कवरेज और प्रदर्शन की पद्धति की अत्यन्त सराहना की गई थी और प्रदर्शनी का इसके प्रवेश स्थान के समीप होने के कारण बड़ी संख्या में आगंतुको ने इसे देखा। मंत्रियों सहित अनेक वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने स्टॉल का दौरा किया । प्रदर्शनी के अंत में, डॉ0 एम.आनंद प्रकाश को चयनित वस्तुंए सौंपी गई । दूतावास ने प्रदर्शनी की सराहना की और अपनी साईट पर फोटो भी प्रदर्शित किए।

सफलता की कहानियां

विनोदिनीबेन ठाकुर दिव्यांग हैं उनका परिवार किराए पर रह रहा था। वह ऑगनवाडी में 3500 रू0 के वेतन पर ठेके पर नियुक्त कर्मचारी हैं। उनका पुत्र अहमदाबाद में निजी कंपनी में काम करता है और वह 10,000 रू0 प्रतिमास वेतन ले रहा है। उनका पति हृदय रोग से पीड़ित है लेकिन परिवार की सहायता करने के लिए ऑटो रिक्शा चलाता है । पीएमएवाई (शहरी) की सहायता से वे हिम्मतनगर, गुजरात में अपना मकान ले पाए हैं । उन्हें, 2,14,563 रू0 सब्सिडी की राशि प्राप्त हुई है जिसमें स्कीम के सीएलएसएस घटक के अंतर्गत सब्सिडी के क्रेडिट के कारण समान मासिक किस्तों की राशि 7321 रू0 से कम होकर 5016 रू0 हो गई थी ।

श्रीमती लक्ष्मी श्रीराम तिवारी और श्री श्रीराम संतोष कुमार तिवारी मूलतः जौनपुर, उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन वर्तमान में वह नरोदा, अहमदाबाद में रह रहे हैं । श्री श्रीराम की अपनी ऑटो रिक्शा है और अपनी आजीविका के लिए सामान ढ़ोते हैं । उसके परिवार में उसकी पत्नी जो गृहिणी है और दो बच्चे हैं जो अध्ययन कर रहे हैं । इस परिवार की मासिक आय 20,000 रू0 है । श्री तिवारी को एक वित्तीय संस्था के माध्यम से सरकार की सब्सिडी स्कीम के बारे में पता चला। उन्होंने पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत 12.6 लाख रू. का मकान खरीदने का निर्णय लिया और सीएलएसएस के अंतर्गत प्राप्त सब्सिडी के परिणामस्वरूप उन्होंने कुल 2,06,517 रू. का लाभ प्राप्त किया। उनकी इएमआई 10,257 रू. से कम होकर 7,696 रू. रह गयी जिससे 2,561 रू. की मासिक बचत हुई। अब वे बचत का अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोग करेंगे।

राज्य अधिकारियों/कर्मचारियों में क्षमता निर्माण करने के लिए राज्य शहरी विकास एजेंसी (सुडा) द्वारा 10 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया

दक्षिणी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने पीएमएवाई (शहरी) एचएफए पर आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी को शामिल करते हुए दक्षिणी क्षेत्र के लिए 30 और 31 मई, 2016 को विशाखापट्टनम में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की थी। सचिव (आवास), आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कार्यशाला का उद्घाटन किया था। श्री अमृत अभिजात, संयुक्त सचिव आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने आधार व्याख्यान दिया। आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी से पीएमएवाई (शहरी)– एचएफए कार्य से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी कार्यशाला में उपस्थित हुए थे। कार्याशाला के पहले दिन पीएमयू दल से प्रतिनिधियों द्वारा पीएमएवाई (शहरी) – एचएफए मिशन संबंधी प्रस्तुतीकरण पर और मिशन के अंतर्गत प्रत्येक राज्य द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा पर ध्यान दिया गया। सीएलएसएस के अंतर्गत प्रगति और संभावित लाभार्थियों की पहचान की समीक्षा भी मिशन निदेशालय से आये प्रतिनिधियों द्वारा की गई। दूसरे दिन में वास्तविक प्रगति की समीक्षा करने और नयी विकसित प्रौद्यगिकियों का उपयोग करते हुए राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही आवास परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के लिए राज्य अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरे का आयोजन किया गया था।

दक्षिणी क्षेत्र कार्यशाला के दौरान मंचासीन गणमान्य व्यक्ति

पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड को शामिल करते हुए पूर्वी क्षेत्र के लिए राज्य/शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर पीएमएवाई (शहरी)–एचएफए मिशन के साथ कार्यरत राज्य पदाधिकारियों के साथ परस्पर व्यवहार पर अधिक ध्यान देने और राज्यों में क्रियाकलापों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 15 और 16 जून, 2016 को दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की। श्री ओमकार सिंह मीणा, सचिव, नगरीय कार्य विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार ने कार्यशाला का उद्घाटन किया । श्री अमृत अभिजात, संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एचएफए), आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने आधार व्याख्यान दिया और मिशन क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। श्री एस.सी. जाना, उप सचिव, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मिशन के घटकों के संबंध में विवरण दिया। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और

पूर्वी क्षेत्र कार्यशाला के दौरान मंचासीन गणमान्य व्यक्ति

बिहार शरीफ में लाभार्थी परिवार पीएमएवाई (यू) के बीएलसी घटक के अंतर्गत अपने आवास के निर्माण के लिए दूसरी किस्त प्राप्त करते हुए

झारखंड के एचएफए का कार्य देखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। हूपा मंत्रालय के अधिकारियों, पीएमयू के सदस्यों, बीएमटीपीसी और हडको ने प्रस्तुतीकरण दिये। इस कार्यशाला का उद्देश्य मांग सर्वेक्षण, सबके लिए आवास, कार्य योजना तैयार करने, अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति, सीएलएसएस के अंतर्गत प्राप्त परियोजनाओं की स्थिति, क्षमता निर्माण कार्यकलापों, एमआईएस और सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण संबंधी कार्यकलाप की स्थिति आदि मिशन के कार्यकलापों की समीक्षा करना था। कार्यशाला के दूसरे दिन की गई प्रगति की समीक्षा करने तथा पश्चिम बंगाल द्वारा कार्यान्वित की जा रही आवास परियोजनाओं की स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य के अधिकारियों ने क्षेत्रीय दौरे का आयोजन किया।

पीएमएवाई (शहरी) परियोजनाओं का चरणबद्ध अनुमोदनः त्रिपुरा मामला

त्रिपुरा 36.7 लाख (जनगणना 2011 के अनुसार) आबादी वाला देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है जिसकी आबादी देश की कुल आबादी का 0.3 प्रतिशत है। यह भारत के भौगोलिक रूप से अलाभकारी स्थान पर स्थित है क्योंकि यह केवल एक मुख्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ता है। इस प्रकार इसके भौगोलिक अलगाव के कारण राज्य में आर्थिक प्रगति में बाधा आती है । गरीबी और बेरोजगारी से राज्य की स्थिति खराब हो रही है ।

उपर्युक्त परिदृश्य के बावजूद, त्रिपुरा, जेएनएनयूआरएम और आरएवाई जैसी आवास स्कीमों में सर्वश्रेष्ठ निष्पादनकर्ता राज्यों में से एक राज्य के रूप में उभरा है । वर्तमान मामले के अध्ययन से यह प्रदर्शित होता है कि राज्य सरकार की अतिसक्रियता से कैसे बेहतर कार्यक्रम कार्यान्वयन होता है, त्रिपुरा ने पीएमएवाई (शहरी) के कार्यान्वयन में ऐसी व्यवस्थित पहल की है क्योंकि इसका दृष्टिकोण मिशन के दिशानिर्देशों की भावना के यथोचित अनुरूप है ।

त्रिपुरा की कार्यान्वयन कार्यनीति में निम्न शामिल है :

- 20 कस्बो से सभी नगरपालिका कर्मचारियों का विषय परिचायन राज्य स्तरीय कार्यशाला के माध्यम से प्रारंभिक बिंदु था । दिशानिर्देशों के अनुसार व्यापक मांग सर्वेक्षण के तौर तरीकों के मुद्दे पर एक सहमति बनाई गई थी । वर्तमान चल रही शहरी सफाई और अवसंरचना सर्वेक्षण का लाभ उठाते हुए पीएमएवाई (शहरी) के अंतर्गत मांग मूल्याकंन को भी संयुक्त रूप से शामिल किया था ।
- उनके आंतरिक नगर पालिका दल द्वारा सर्वेक्षण किया गया, कार्यपालक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया । कस्बों के छोटे आकार को देखते हुए लाभार्थी सर्वेक्षण दल से परिचित थे इस प्रकार अपात्र लाभार्थियों का चयन नहीं किया गया । 207,791 शहरी गरीब जनसंख्या को शामिल करते हुए घर–घर जाकर सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया।
- अधिकांश लाभार्थियों ने बीएलसी (नया निर्माण) घटक के विकल्प का चयन किया है चूंकि भूमि स्वामित्वाधिकार का कोई विवाद नहीं है । राज्य ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि चयन पीएमएवाई (शहरी) दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए, लाभार्थियों की पहचान करने के दौरान शहरी स्थानीय निकायों का निरंतर मार्गदर्शन किया ।

  मांग सर्वेक्षण में त्रिपुरा के 20 कस्बों में लगभग 50,000 लाभार्थियों की पहचान की गई। इसके बाद आंकडो का वैधीकरण करने के लिए लाभार्थियों की मेपिंग को एएचएल–टीआईएन सहित एसईसीसी आंकडो के साथ सूचीबद्ध किया है ।

मिशन निदेशालय में केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक

सीएसएमसी पीएमएवाई (शहरी) मिशन के लिए निर्णय लेने वाला निकाय है जिसके अध्यक्ष सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय हैं और अन्य संबंधित मंत्रालयों से इसमें सदस्य शामिल होते हैं। सीएसएमसी के मुख्य कार्यों में राज्यों से परियोजनाएं स्वीकृत करना, मिशन की समग्र समीक्षा एवं निगरानी करना है।

जुलाई–सितम्बर, 2016 की तिमाही में सीएसएमसी की चार बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें से 16 राज्यों से 271,322 आवासों को शामिल करके एएचपी एवं बीएलसी घटकों के तहत कुल 589 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। इनमें जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब और नागालैंड राज्य से बीएलसी विस्तार के अंतर्गत 9,392 आवास शामिल हैं।

उपर्युक्त स्वीकार किए गए 2.71 लाख आवासों हेतु कुल 4057 करोड़ रूपए का केंद्रीय अंश शामिल हैं।

22 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित सीएसएमसी की 10वीं बैठक

- लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, सभी शहरी स्थानीय निकायों ने लोगों की जानकारी में लाने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में पहले से चयनित लाभार्थियों की सूची प्रकाशित की ।
- सूची संबंधित यूएलबी कार्यालयों में उपलब्ध करा दी गई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे कि किसी अपात्र लाभार्थी का चयन न हो और कोई पात्र व्यक्ति रह न जाए।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए कार्यकारी अधिकारियों अभियंताओं तथा अन्य यूएलबी अधिकारियों हेतु राज्य स्तर पर 2 दिवसीय हैंडहोल्डिंग कार्यशाला आयोजित की गई। सभी संबंधित अधिकारियों ने, जिनके पास अपेक्षित डाटा था, डीपीआर तैयार की। राज्य ने लागत अनुमानों सहित आवास ले–आऊट और डिजाइन तैयार करने में सहायता की। आरंभिक निर्धारण राज्य के अधिकारियों द्वारा किया गया उनसे फीड–बैक प्राप्त होने के पश्चात, रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था। प्रक्रिया के दौरान हूपा मंत्रालय से भी सहायता ली गई।
- लाभार्थियों की आधार संख्या और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए लाभार्थी बैंक के खाता संख्या सहित लाभार्थियों के ब्यौरे के साथ पूरी सूची सहित डीपीआर की राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (एसएलएसी) द्वारा मूल्यांकन किया गया था । राज्य स्तर पर एसएलएसएमसी द्वारा सभी 20 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया तथा केन्द्रीय सहायता के लिए हूपा मंत्रालय को भेजे गये। त्रिपुरा से प्राप्त सभी 20 प्रस्तावों को सीएसएमसी ने अपनी जुलाई 2016 को हुई 10वीं बैठक में 42,896 आवासों को बीएलसी संघटक के अंतर्गत अनुमोदित कर दिया है।
- राज्य सरकार का अंशदान सुनिश्चित करते समय लाभार्थियों से उनकी अपनी धनराशि निवेश करके मकान को पूरा करने के संबंध में लिखित सहमति भी मांगी गई थी।

कार्यान्वयन ढांचाः

- राज्य लाभार्थियों को 9 महीने की अवधि के भीतर प्रत्येक इकाई का निर्माण कराने में सहायता प्रदान करेगा। इसका पर्यवेक्षण विभाग के इंजीनियर्स विंग के मार्गदर्शन में यूएलबी के इंजीनियर्स द्वारा किया जायेगा।
- एसएलएनए और यूएलबी द्वारा स्वयं को तत्काल पीएफएमएस के साथ पंजीकरण कराना होगा । निधियों की प्राप्ति पर, एसएलएनए इस राशि को अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार संबंधित यूएलबी को 7 दिन के भीतर अंतरित करेगा । यूएलबी द्वारा निधियों को उपलब्धि के आधार पर लाभार्थी के सत्यापित बैंक खाते में सीधे जारी किया जाएगा कार्य आरंभ करने पर 20 प्रतिशत, कुर्सी स्तर पर 30 प्रतिशत, चौखट स्तर के पूरा होने पर 30 प्रतिशत और आवास के पूरा होने पर 20 प्रतिशत ।
- सभी यूएलबी को पालन की जाने वाली कार्यकलाप–वार समय सीमा का उल्लेख करते हुए स्पष्ट अनुदेश जारी किए गए हैं ।
- राज्य सरकार अपनी सभी परियोजनाओं को अन्य केन्द्रीय स्कीमों जैसे अमृत, स्वच्छ भारत मिशन आदि को पीएमएवाई(शहरी) में मिलाने का प्रयास कर रही है। इस समाभिरूपता के माध्यम से परियोजनाओं में पेय जल, स्वच्छता, विद्युत कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट, जल निकास और सड़क सुधार जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी ।
- राज्य/शहर स्तर पर कार्यशालायें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी । इसके पश्चात बीएमटीपीसी, हडको तथा एनआईटी/आईआईटी आदि की सहायता से कम लागत भवन निर्माण तकनीकों पर हैंड–ऑन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जाएंगे । लाभार्थियों के लिए, यूएलबी स्तर पर स्थल पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जायेंगे।
- निर्माण कार्य की निगरानी यूएलबी के इंजीनियरों द्वारा विभागीय इंजीनियर्स के मार्गदर्शन में की जायेगी । निर्माण के प्रत्येक स्तर पर हूपा मंत्रालय द्वारा एप का प्रयोग करते हुए फोटोग्राफों के माध्यम से जियो–टैगिंग की जायेगी। फोटो की जियोटैगिंग अगली किस्त जारी करने के लिए निर्माण के स्तर का पता लगाने हेतु की जायेगी।
- ऊर्जा दक्ष और हरित प्रौद्योगिकी अपनाकर स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। इससे सामग्रियों के परिवहन के लिए ईंधन की खपत में कमी आएगी। यूनिटों को ऊर्जा दक्ष आधुनिक एलईडी लाइटिंग से सेवित किया जायेगा ।
- प्रत्येक आवास पर पीएमएवाई टैग लगा होगा जो वर्ष दर्शाएगा और सामने की दीवार पर पीएमएवाई (शहरी) क्रमांक मोटे अक्षरों में दर्शाया जायेगा ।

सत्यमेव जयते

संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (सबके लिए आवास)
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय,
भारत सरकार
कमरा सं0–116, जी विंग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली

दूरभाषः 011–23061419; फैक्सः 011–23061420
ई–मेल : jshfa-mhupa@gov.in
वेबसाईट : http://mhupa.gov.in
Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India
twitter.com/mohupa